तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। दस्तावेज सूची के साथ दस्तावेज पेश किए गए। वास्ते बहस तलबी पत्रावली दिनांक 24/12/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
(हस्ताक्षर) (हेनाहज)	
	24/12/2025 पत्रावली पेश हुई। ~~[illegible]~~ उभय पक्ष उभय पुकार कराई गई। ~~पक्ष अनुपस्थित आया प्रकरण~~ में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र 151 का प्रस्तुत है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र निषेधाज्ञा का स्वीकार। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने स्वीकार किये जाने मूल वाद के निर्णय होने तक TI कार्यवाही की जाती है। विरुद्ध निर्णय प्रकरण से सम्मिलित जाकर शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण वाद तत्काल दाखिल मूल वाद के इजलास हो।
	(हस्ताक्षर) 24/12/25 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा।

मु.न. 153/2025
दर्ज दिनांक 13.08.2025
निर्णय दिनांक 24.12.2025

उनवान

1. हेमराज पुत्र कैलाश
2. सचिन पुत्र कैलाश
3. हिमानी पुत्री कैलाश

समस्त जाति माली निवासी बडियाल रोड़ जांगीर बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)।
– प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र बसन्तीलाल
2. बाबूलाल पुत्र बसन्तीलाल

समस्त जाति माली निवासी बडियाल रोड़ जांगीर बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)।

3. नर्बदा देवी पत्नि बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी भूड़ा तहसील रैणी जिला अलवर (राज.)।
4. श्रवणलाल पुत्र बसन्तीलाल
5. मुकेश पुत्र बसन्तीलाल
6. बुद्धा पुत्र बसन्तीलाल
7. असरफी पत्नि बसन्तीलाल

समस्त जाति माली निवासी बडियाल रोड़ जांगीर बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)।

8. उपपंजीयन अधिकारी बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

–अप्रार्थीगण

(प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा)

निर्णय

दिनांक 24.12.2025

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र जर्ये वकील न्यायालय हाजा मे अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:– अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दावा उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है, जिसमें सफलता की पूरी–पूरी आशा है। भूमि खाता संख्या नया 107 पुराना 90 आराजी खसरा नं. 1183 रकबा 0.50 हैक्टे., खसरा नं. 1185 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 1186 रकबा 1.36 हैक्टे., खसरा नं. 1640 रकबा 0.04 हैक्टे., खसरा नं. 1641 रकबा 0.07 हैक्टे., खसरा नं. 1655 रकबा 0.08 हैक्टे, खसरा नं. 1656 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 1657 रकबा 0. 26 हैक्टे, खसरा नं. 1658 रकबा 0.28 हैक्टे., खसरा नं. 1659 रकबा 0.01 हैक्टे, खसरा नं. 1660 रकबा 0.17

हैक्टे., कुल किता 11 कुल रकबा 2.80 हैक्टे. वाके गांव बांदीकुई जांगीर तहसील बांदीकुई में स्थित है। जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है। जिसके तत्कालीन खातेदार प्रार्थीगण के दादा व अप्रार्थीगण के पिता बसन्तीलाल पुत्र सोन्या के कब्जे व स्वामित्व की भूमि रही है। जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 प्रार्थना पत्र संलग्न है। खाता सं. नया 03 पुराना 03 के खसरा नं. 1640 रकबा 0.04 हैक्टे., खसरा नं. 1641 रकबा 0.07 हैक्टे., खसरा नं. 1655 रकबा 0.08 हैक्टे, खसरा नं. 1656 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 1657 रकबा 0.26 हैक्टे, खसरा नं. 1658 रकबा 0.28 हैक्टे., खसरा नं. 1659 रकबा 0.01 हैक्टे, खसरा नं. 1660 रकबा 0.17 हैक्टे., कुल किता 08 कुल रकबा 0. 92 हैक्टे. वाके गांव भोज्यावाला तहसील बांदीकुई में स्थित है। जिसका वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अप्रार्थीगण सं. 01, 02 एवं 04 लगायत 07 का जमाबन्दी में इन्द्राज हो रहा है। नकल जमाबन्दी संवत 2075–78 पेश है।

भूमि खाता संख्या नया 03 पुराना 03 आराजी खसरा नं. 1183 रकबा 0.50 हैक्टे., खसरा नं. 1185 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा न. 1186 रकबा 1.36 हैक्टे कुल 03 रकबा 1.88 हैक्टे. वाके ग्राम जांगीर बांदीकुई में स्थित है जिसका वर्तमान जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 02 व 03 का इन्द्राज हो रहा है। पैरा संख्या 02 में वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01. 02.व 04 लगायत 07 की पैतृक सम्पति है पक्षकारान हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 06 व 08 के अनुसार कोर्पासनरी संयुक्त परिवार की सम्पति में पिता की सम्पति में पुत्र व पुत्री का जन्म से ही अधिकार प्राप्त होते है तथा उसी अनुसार प्रार्थगण अपने पिता के हिस्से 9/50 में से प्रार्थीगण 3/4 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा वह अपना उक्त हिस्सा कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण संख्या 01 के प्रार्थी संख्या 01, 02 पुत्र है तथा प्रार्थी सं.03 पुत्री है तथा प्रार्थीगण संख्या 01 के वैध प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी है तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 के बराबर हक अधिकार है तथा उसी अनुसार अपना हक व अधिकार कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 रंजिश रखने लगा है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 ले अप्रार्थी संख्या 02 से मिलकर प्रार्थीगण को नुकसान कारित करने उद्देश्य से भूमि काश्त खाता संख्या 3 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 9/50 का दिनांक 22.09.2022 हक्त्याग के आधार पर बेचान कर दिया शून्य व निरस्तनीय है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है। शेष भूमि को दीगर लोगो को बेचान करने में पर आमाद है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकर किया जाकर अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के फसल बोने व काटने में किसी प्रकार की मजाहत पैदा नही करे, प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, इस हेतु प्रतिबन्धित रहे। प्राईमाफेसाई केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त बमुकाबिले अप्रार्थीगण, प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से प्रतिबंधित किया जावें कि वह भूमि खाता सं. नया 03 पुराना 03 के खसरा नं. 1640 रकबा 0.04 हैक्टे., खसरा नं. 1641 रकबा 0.07 हैक्टे., खसरा नं. 1655 रकबा 0.08 हैक्टे, खसरा नं. 1656 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 1657 रकबा 0.26 हैक्टे, खसरा नं. 1658 रकबा 0.28 हैक्टे., खसरा नं. 1659 रकबा 0.01 हैक्टे, खसरा खसरा नं. 1660 रकबा रकबा 0.17 हैक्टे., कुल किता 08 कुल रकबा 0.92 हैक्टे.ष एवं भूमि खाता संख्या नया 03 पुराना 03 आराजी खसरा नं. 1183 रकबा 0.50 हैक्टे., खसरा नं. 1185 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 1186 रकबा 1.36 हैक्टे. कुल 03 कुल रकबा

Scanned with OKEN Scanner

1.88 हैक्टे. वाके गांव बांदीकुई जांगीर तहसील बांदीकुई में प्रार्थीगण के हक अधिकार में आयी भूमि में प्रार्थीगण को फसल बोने व काटने में व्यवधान न करे तथा उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे तथा किसी दीगर सख्स को रहन, बय करने से प्रतिबन्धित रहे तथा किसी प्रकार का पुख्ता या खाम निर्माण नहीं करे, किसी प्रकार की प्लाटिंग आदि नहीं करे। मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई अप्रार्थी संख्या 2 की आरे से प्रार्थना पत्र धारा 151 का पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:–

यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भूमि मुतदाविया खाता सं. नया 3 वाके रामा जांगीर बाँदीकुई को सहखातेदार अप्रार्थी सं. 1 कैलाश जो कि प्रार्थी का पिता है, ने दिनांक 01.09.2022 को उक्त भूमि मुतदाविया में अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग से अप्रार्थी सं. 02 के पक्ष में उक्त भूमि मुतदाविया में अपना सम्पूर्ण हिस्सा हक त्याग कर उसी समय अपने हिस्से का कब्जा अप्रार्थी सं. 02 को संभला दिया है, इसलिए उक्त भूमि मुतदाविया से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 01 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उसके बावजूद अप्रार्थी सं. 01 ने बदनीयतीपूर्वक प्रार्थीगण से मिलकर गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर श्रीमान् से दिनांक 13/8/.25 को एकपक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा भूमि मुतदाविया की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बाबत् प्राप्त कर ली है, जिसे खारिज किया जाना कानूनन न्यायोचित है। प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में जिस भूमि मुतदाविया का हवाला दिया है, उसमें वो खातेदार, काश्तकार नहीं है, न ही उनका कोई कब्जा, काश्त है। इसलिए प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 01 की दुरभि संधि है, जो कि अप्रार्थी सं. 02 व अन्य सहखातेदारों को हैरान–परेशान करने की नीयत से श्रीमान् के समक्ष झूठे एवं गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा एकपक्षीय दिनांक 13/8/25 को खारिज किया जाना न्यायोचित है। खातेदार के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती एवं कानूनन पिता के जीवित रहते हुए पुत्र उक्त भूमि मुतदाविया में अपना हिस्सा कानूनन मांगने का हकदार नहीं है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में निर्णय दिया है। इसलिए श्रीमान् के द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा एकपक्षीय दिनांक 13/8/25 को खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि श्रीमान् के द्वारा जारी एकपक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा भूमि मुतदाविया दिनांक 13/8/2025–को खारिज किया जाना न्यायोचित है। प्रकरण में दिनांक 19.11.2025 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की गई।

पत्रावली बहस पर नियत की गई बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरणो का निस्तारण निम्नांकित तीन बिन्दुओ पर किया जा सकता है। प्रांथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति , सुविधा का संतुलन

प्रथम दृष्टया मामलाः– प्रार्थी/ वादी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक सम्पती है। जिसमें उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को हक त्याग किया गया है कब्जा संभला दिया है वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ने बदनीयतीपूर्वक प्रार्थीगण से मिलकर गलत तथ्यो के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिस भूमि मुतदाविया का हवाला दिया है जिसमें प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नही है। न ही उनका कोई कब्जा है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जावे। प्रार्थी द्वारा पेश

४५६–

Scanned with OKEN Scanner

बन्दी एवं नामान्तकरण संख्या 342 के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ती होना
त होता है। जिसका निस्तरण दावे में पर्याप्त साक्ष्य/सबूतो के आधार पर किया जाना
इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अपूर्णीय क्षति , सुविधा का संतुलन उक्त दोनो बिन्दु का निस्तारण सुविधा की दृष्टि
एक साथ किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति
रित होना संभव है। अत सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन के
धार पर उक्त दोनो बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि में अस्थायी निषेधाज्ञा
जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर भूमि
खाता सं. नया 03 पुराना 03 के खसरा नं. 1640 रकबा 0.04 हैक्टे., खसरा नं. 1641 रकबा
0.07 हैक्टे., खसरा नं. 1655 रकबा 0.08 हैक्टे, खसरा नं. 1656 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा
नं. 1657 रकबा 0.26 हैक्टे, खसरा नं. 1658 रकबा 0.28 हैक्टे., खसरा नं. 1659 रकबा 0.
01 हैक्टे, खसरा खसरा नं. 1660 रकबा रकबा 0.17 हैक्टे., कुल किता 08 कुल रकबा 0.92
हैक्टे.δ एवं भूमि खाता संख्या नया 03 पुराना 03 आराजी खसरा नं. 1183 रकबा 0.50
हैक्टे., खसरा नं. 1185 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 1186 रकबा 1.36 हैक्टे. कुल 03 कुल
रकबा 1.88 हैक्टे. वाके गांव भोज्यावाला में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से
मूल वाद के निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है। मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति
बनाये रखे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के हम फिता हो।
मेरे द्वारा आज दिनांक 24.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई